

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

विकास खण्ड कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 227.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,27,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2 से 3

कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु राज्यांश राशि रूपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 5

एन.पी.ई.जी.ई.एल. हेतु राज्यांश राशि रूपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

प्राथमिक शालाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 402.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,02,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

माध्यमिक शालाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 963.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,63,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8 से 9

आश्रम के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं मजदूरी हेतु रूपये 119.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,19,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय करने हेतु रूपये 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11 से 12

सर्वशिक्षा अभियान हेतु राज्यांश राशि रूपये 2500.00 लाख तथा 20 मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु रूपये 755.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 32,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

छात्रावास के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 73.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 73,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

हाईस्कूल के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 89.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 89,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15

क्रीडा परिसर के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 7.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

गुरुकूल विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते हेतु रूपये 0.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

अशासकीय संस्थाओं को अनुदान हेतु रूपये 232.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 18

कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 19

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 5.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 20 से 21

जिला चिकित्सालयों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 336.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,36,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 22

उप स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 331.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,31,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 23 से 24

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के राज्यांश हेतु राशि रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25 से 27 एवं 29 से 34

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापना हेतु रूपये 164.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 28

आयुर्वेद औषधालयों के लिए दवाई क्रय हेतु रूपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 35 से 36

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्यांश के रूप में राशि रूपये 1330.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 13,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 37

छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम हेतु आकस्मिकता निधि से रूपये 38.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 38

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हेतु मशीन उपकरण क्रय करने के लिये राशि रूपये 154.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 39

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत सामग्री और पूर्तियाँ हेतु रूपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । उक्त व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 40

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत मछुवारों का मत्स्य पालन / मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना बीमा प्रदाय हेतु राशि रूपये 0.62 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 41 से 42

राज्य के वन क्षेत्रों के त्वरित पुनरोद्धार एवं पुनरोत्पादन कार्य पर राशि रूपये 1534.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 15,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 43 से 48

वन विभाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट टायगर योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 1485.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 14,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 49

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु राशि रूपये 1019.54 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह राशि अन्य मद से समर्पित कर लायी जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,19,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 50 से 51

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) अंतर्गत राज्यांश मद में राशि रूपये 41.51 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 41,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 52

उद्योगों को ब्याज अनुदान दिये जाने हेतु राशि रूपये 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह राशि अन्य मद से समर्पित कर लायी जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 53 से 54

कन्या छात्रावास निर्माण हेतु राशि रूपये 1219.79 लाख का व्यय संभावित है । छात्रावासों की सूची निम्नानुसार है :

क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड
1	बस्तर	बस्तर
2		जगदलपुर
3		कोण्डागांव
4		माकडी
5		फरसगांव
6		तोकापाल
7	नाराणपुर	अबुझमाड़(ओरछा)
8	बीजापुर	उसूर
9		भैरमगढ
10		बीजापुर
11	दंतेवाडा	छिन्दगढ़
12		दंतेवाड़ा
13		गीदम
14		कुआकोण्डा
15	कोरिया	खडगवां
16	रायपुर	देवभोग
17		मैनपुर
18	सरगुजा	अंबिकापुर
19		बतौली
20		भैयाथान
21		कुसमी
22		लखनपुर
23		लुण्ड्रा
24		मैनपाठ
25		ओडगी
26		प्रतापपुर
27		राजपुर
28		रामचंद्रपुर(रामानुजगंज)
29		सीतापुर
30		सूरजपुर
31		उदयपुर

32	वाडूफनगर
----	----------

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 12,19,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 55

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हेतु मशीन उपकरण क्रय करने के लिये राशि रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 56

नक्सली क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की लोकेशनों पर हैण्डपंप एवं सबमर्सिबल पम्प स्थापित करने हेतु राशि रूपये 164.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 57

इंद्रावती/जौरा नाला पर स्ट्रक्चर निर्माण (लागत राशि रूपये 33.69 करोड़) हेतु उड़ीसा सरकार को रूपये 340.00 लाख का भुगतान किया जाना है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 58

हाइड्रोस्ट्रक्चर्स निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण पर रूपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।